



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082026-275554
CG-DL-E-18082026-275554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2026/श्रावण 26, 1948

No. 504]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2026/SHRAVAN 26, 1948

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

फा.सं.पीएनजीआरबी/तकनीकी/1-टी4एससीजीडी/(4)/2023.— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) हेतु आचरण संहिता) विनियम, 2010 में और संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

1. इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना हेतु आचरण संहिता) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।

2. ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) हेतु आचरण संहिता) विनियम, 2010 में, -

(1) विनियम 6 के उप-विनियम (ए) में, शब्द स्तर 1, संख्या “स्तर 1” को “स्तर I” से बदला जाएगा।

- (2) विनियम 6 के उप-विनियम (बी) में, शब्द स्तर 2, संख्या "स्तर 2" को "स्तर II" से बदला जाएगा।
- (3) विनियम 6 के उप-विनियम (सी) में, शब्द स्तर 3, संख्या "स्तर 3" को "III" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (4) उप-विनियमन 14.2.2 में "स्थल घटना नियंत्रक (एसआईसी)" वाक्यांश से शुरू होने के उपरांत, "स्थल घटना नियंत्रक की पहचान की जाएगी", शब्द "स्थल" को "प्रमुख" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "मुख्य घटना नियंत्रक की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन सीमित नहीं हैं", वाक्यांश में, "प्रमुख" शब्द को "स्थल" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (5) उप-विनियम 14.2.5.8 में शीर्षक "संचार सेवाएं" के अंतर्गत, उप-शीर्षक (2) "सूचना का प्रवाह" में, उप-बिंदु (ए) में, वाक्यांश "नियंत्रण केंद्र को सूचना प्राप्त होगी" में शब्द, "प्रपत्र" को शब्द "से" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (6) उप-विनियम 14.2.5.9 में "सायरन कोड" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे:
- (i) उप-शीर्षक (2) (सी) में, "(प्रतीक्षा सायरन 2 मिनट + अंतराल 1 मिनट + सायरन 2 मिनट + अंतराल 1 मिनट + प्रतीक्षा सायरन 2 मिनट)" पद को "(2 मिनट का चेतावनी सायरन + 1 मिनट का अंतराल + 2 मिनट का चेतावनी सायरन + 1 मिनट का अंतराल + 2 मिनट का चेतावनी सायरन)" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (ii) उप-शीर्षक (सी), (डी) और (ई) को (डी), (ई) और (एफ) के तौर पर पुनःनंबर दिया जाएगा।
- (7) विनियम 19 में शीर्षक "चिकित्सा सुविधाएं" के अंतर्गत "चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा" शब्दों के पश्चात् तथा "ईआरडीएमपी में प्रदान किए जाने वाले" शब्दों से पूर्व "(विस्तरों की संख्या सहित बर्न उपचार वाडों का ब्यौरा सहित)" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (8) विनियम 24 में "इकाई द्वारा घटना की रिपोर्टिंग के बाद कार्रवाई" शीर्षक के अंतर्गत, उप-विनियम (5) में, "गठन के 30 दिनों के भीतर बोर्ड को अंतिम रिपोर्ट" शब्दों के पश्चात्, नीचे उल्लेखित अनुसार एक नया खंड सम्मिलित किया जाएगा-
- "(6) हर बड़ी घटना के मामले में इकाई निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:*
- (ए) अंतिम घटना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के अन्दर उन त्रुटियों या उल्लंघनों हेतु स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना, जिन्होंने प्रमुख घटना को जन्म दिया या उसका कारण बनें।*
- (बी) अंतिम घटना जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के एक महीने के भीतर, प्रत्येक बड़ी घटना की जिम्मेदारी तय करने और चूक या उल्लंघनों के लिए जवाबदेही निर्धारित करने हेतु—इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों सहित—उपयुक्त स्तरों पर एक आंतरिक समिति का गठन किया जाना होगा। इस आंतरिक समिति को अपनी रिपोर्ट संबंधित संगठन के निदेशक को समिति के गठन की तारीख से पांच महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।*
- (सी) ऊपर दिए गए क्लॉज़ (बी) के अनुसार आंतरिक समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के तीन महीने के भीतर दोषी पाए गए कर्मचारी या ठेकेदार/एजेंसी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।*
- (डी) किसी घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में, वैधानिक मानदंडों और इकाई की मुआवज़ा नीति के अनुसार मुआवज़े का भुगतान किया जाएगा।*
- 9) नियम 24 "इकाई द्वारा घटना की रिपोर्टिंग के बाद कार्रवाई" में, मौजूदा खंड (6) को (7) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाएगा और इसे निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा-
- "(7) (ए) इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सभी स्थानों पर घटना जांच समिति की सभी सिफारिशों का समय-सीमा के भीतर पालन किया जाए तथा घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएँ।*
- (बी) इकाई का नामित निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि सिफारिशों का पालन करने, घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उठाए गए उपायों, उप-नियम (6) के संबंध में कार्रवाई आदि पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) को अंतिम घटना जांच रिपोर्ट*

के साथ प्रस्तुत किया जाए, ताकि इसे निदेशक मंडल (इकाई) की चर्चा के लिए रखा जा सके तथा बैठक के कार्यवृत्त (एमओएम)/बैठक के परिणाम, निम्नलिखित समयसीमा के अनुसार पीएनजीआरबी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे:-

क्र. सं.	विवरण	समयसीमा (अंतिम घटना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से)
1	उप-विनियम (7)(ए) के संबंध में कार्रवाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।	तीन माह
2	उप- विनियम (6)(ए) के संबंध में कार्रवाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।	तीन माह
3	उप- विनियम (6)(बी) और (सी) के संबंध में कार्रवाई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।	दस माह
4	उप-विनियम (6)(डी) के संबंध में कार्रवाई	नौ माह #

कुल मुआवजे की राशि का 25% मृत्यु/स्थायी विकलांगता की तारीख से एक महीने के भीतर दिया जाएगा।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./273/2026-27]

पाद टिप्पणी:

1. मूल विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) विनियम, 2010, भारत के राजपत्र, भाग II, धारा 3 (i) में दिनांक 18 जनवरी 2010 को जीएसआर 39 (डि) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड [आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) हेतु आचरण संहिता] संशोधन विनियम, 2014, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 1 जनवरी 2015 को फा. सं. एल-विविध/VI/II/2007 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) हेतु आचार संहिता) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 17 सितंबर, 2020 को फा.सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/19-ईआरडीएमपी/(1)/2020 के तहत प्रकाशित किए गए थे।
4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) हेतु आचरण संहिता) संशोधन विनियम, 2025, भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में दिनांक 23 जुलाई 2025 को पीएनजीआरबी/तकनीकी/18-जुर्माना-टी4एसआरईजी./(9)/2024(ई-5488)/1 के अनुसार प्रकाशित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

F. No. PNGRB/Tech/1-T4SCGD/(4)/2023.— In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, hereby makes the following regulations, to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)) Regulations, 2010, namely:-

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- 1) These regulations may be called “the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)) Amendment Regulations, 2026”.
- 2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)) Regulations, 2010, -

- 1) In Regulation 6, in Sub-Regulation (a), in the words “Level 1”, the number “1” shall be replaced with “I”.
- 2) In Regulation 6, in Sub-Regulation (b), in the words “Level 2”, the number “2” shall be replaced with “II”.
- 3) In Regulation 6, in Sub-Regulation (c), in the words “Level 3”, the number “3” shall be replaced with “III”.
- 4) In Regulation 14.2.2 “Site Incident Controller (SIC)”, after the phrase beginning from “The Site Incident Controller shall be identified by the”, the word “Site” shall be replaced with the word “Chief” and in the sentence “Responsibilities of the Chief Incident Controller shall include but not limited to the following”, the word “Chief” shall be replaced with the word “Site”.
- 5) In Regulation 14.2.5.8 “Communications Services”, in Sub-Regulation (2) “Flow of Information”, in sub-clause (a), in phrase “Control Centre shall receive the information form”, the word “form” shall be replaced with the word “from”.
- 6) In Regulation 14.2.5.9 “Siren Codes”, following changes shall be made
 - (i) In Sub-Regulation (2) (c), the words “(waiting siren 2min + gap 1min + siren 2min + gap 1min + waiting siren 2min)” shall be replaced with “(wailing siren of 2min + gap of 1min + wailing siren of 2min + gap of 1min + wailing siren of 2min)”.
 - (ii) Sub-Regulation (c), (d) & (e) shall be renumbered as (d), (e) & (f).
- 7) In Regulation 19 “Medical Facilities”, after the words “Details of medical facilities” and before the words “to be provided in the ERDMP”, the words “(including details of Burn treatment wards with number of beds)” shall be inserted
- 8) In Regulation 24 “Action after reporting of incident by the entity”, in Sub-Regulation (5), after the words “the final report to the Board within 30 days of constitution”, the new Sub-Regulation numbered as (6) shall be inserted as mentioned below -

“(6) Entity shall ensure the following in case of each Major incident:

 - a. Submit explanation for lapses or violations that resulted into or caused the Major incident, within three months from submission of the Final Incident Investigation Report.
 - b. Constitute an internal committee to fix responsibility for each major incident and accountability for lapses or violations, at appropriate levels including senior officials of entity etc., within one month from submission of the Final Incident Investigation Report. This internal committee should submit its report to concerned Director of entity, within five months from date of its constitution.
 - c. Take appropriate disciplinary or administrative action against the personnel/contractor/agency found responsible within three months from submission of internal committee report as per clause (b) above.
 - d. Disburse compensation in line with statutory norms and company's compensation policy in case of incidents involving any fatality or permanent disability.

- 9) In Regulation 24 “Action after reporting of incident by the entity”, existing Sub- Regulation (6) shall be substituted with the following -

“(7) (a) The entity shall ensure compliance of all recommendations of the Incident Investigation Committee at all its locations within time bound manner and to undertake all necessary measures to prevent recurrence of incidents.

(b) Nominated Director of the entity shall ensure submission of the Action Taken Report (ATR) on compliance of recommendations, measures taken to prevent recurrence of incidents, action w.r.t. sub-regulation (6) above, etc. along with the Final Incident Investigation Report, for deliberation of the Board of Directors (of the entity) and submit the Minutes of Meeting (MoM)/outcome of the meeting, to the Board (PNGRB) as per following timelines:

S No.	Details	Timeline (from the date of submission of Final Incident Investigation Report)
1	Action w.r.t. sub-regulation (7)(a) as above	Three months
2	Action w.r.t. sub-regulation (6)(a) as above	Three months
3	Action w.r.t. sub-regulation (6)(b) & (c) as above	Ten months
4	Action w.r.t. sub-regulation (6)(d)	Nine Months #

25% of the total compensation amount shall be released within one month from the date of the fatality / permanent disability.

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./273/2026-27]

FOOT NOTE:

1. The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP) Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec.3(i), on 18th January 2010, vide G.S.R. 39(E).
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board [Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)] Amendment Regulations, 2014, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4, on 1st January 2015, vide F. No. L- MISC/VI/1/2007.
3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4, on 17th September 2020, vide F. No. PNGRB/Tech/19- ERDMP/(1)/2020.
4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Codes of Practices for Emergency Response and Disaster Management Plan (ERDMP)) Amendment Regulations, 2025, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4, on 23rd July 2025, vide PNGRB/ Tech/18- penalty-T4SReg./(9)/2024(E-5488)/1.